प्रेस नोट दिनांक 24/06/2021

डीजी जेल दासोत की नई पहल
कैदियों के बैरक आवंटन में अब रहेगी पारदर्शिता
वर्णमाला के आधार पर होगा बैरक आवंटन

जयपुर। जेल प्रशासन में किये जा रहे विभिन्न नवाचारों की श्रृंखला में एक नई पहल करते हुए प्रदेश की केन्द्रीय कारागृहों में बंदियों को बैरक आवंटित करने के संबंध में जेल महानिदेशालय द्वारा नई गाईड लाईन जारी की गई है। अभी तक यह व्यवस्था थी कि न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजे गए नये बंदी को जेल के किस वार्ड या बैरक में रखना है, इसका निर्णय स्थानीय जेल प्रशासन करता था लेकिन पारदर्शिता के अभाव में अक्सर अधिकारियों द्वारा मनमानी की शिकायतें आती थी तथा पक्षपात एवं भ्रष्टाचार की आशंका भी रहती थी। इन समस्याओं का समाधान करते हुए डीजी दासोत ने सभी जेल अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे नये बंदियों को वर्णमाला के (अल्फाबेटिकल) आधार पर बैरक आवंटित करें।

दासोत ने बताया कि बंदियों के बैरक आवंटन में निष्पक्षता व पारदर्शिता के लिए सभी जेल प्रभारी अधिकारियों को पाबन्द किया गया है कि बंदियों को उनके नाम के अल्फाबेट के आधार पर बैरकों में भेजा जाए जिससे जेल प्रशासन में पारदर्शिता आएगी तथा भेदभाव एवं भ्रष्टाचार की आशंका समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही यह निर्देश भी जारी किये गये हैं कि परस्पर विरोधी गैंग अथवा बंदियों को एक साथ नहीं रखा जाए ताकि कारागृह में किसी प्रकार की गेंगवार न हो।

इससे पहले जेलर अथवा अधीक्षक के विवेकानुसार बंदियों को बैरकों में रखा जाता था अथवा अदला–बदली की जाती थी लेकिन नई गाईडलाइन जारी होते ही राज्य के सभी केन्द्रीय कारागृहों में इसकी पालना प्रारम्भ हो गई हैं।

****